FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना कैलादेवी — प्रार्थी

बनाम

रिंकी मीना पुत्री श्री रामकेश मीना, जाति मीना, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजौर, थाना कैलादेवी, जिला करौली, राजस्थान — अप्रार्थी

एम.पी.आर. 1/19 थाना कैलादेवी — तारीख रजु—19.03.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मजिस्ट्रेट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.04.2019	थानाधिकारी थाना कैलादेवी में दर्ज एम.पी.आर. नं. 1/19 के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.02.2019 व 19.02.2019 की रात्रि यानि दिनांक 19.02.2019 को प्रातः लगभग 3.30 बजे श्री रामकेश मीना निवासी राजौर थाना कैलादेवी की पुत्री रिंकी मीना, एक व्यक्ति लज्जाराम गुर्जर के साथ भाग जाने, एवं वैर जिला भरतपुर में कोर्ट मैरिज कर लेने तथा दिनांक 18.03.2019 को रिंकी मीना को पुलिस द्वारा भरतपुर में दस्तयाब करने पर दिनांक 19.03.2019 को मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर रिंकी मीना के बयान, गुर्जर व मीना समाज के बीच जातीय संघर्ष की संभावना, कानून व्यवस्था एवं रिंकी मीना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा रिंकी मीना को दिनांक 02.04.2019 तक नारी निकेतन गृह भरतपुर भिजवाये जाने का निर्णय पारित किया गया था। उक्त अवधि के समाप्त होने पर आज हैड कानि0 श्री मोहन सिंह, बैल्ट नं. 469 रिजर्व पुलिस लाइन भरतपुर एवं महिला कानि0 श्रीमती पवन कुमारी बैल्ट नं. 230 रिजर्व पुलिस लाइन भरतपुर रिंकी मीना को नारी निकेतन गृह भरतपुर से लेकर आये एवं मेरे समक्ष पेश किया। रिंकी मीना के बयान लिये गये। रिंकी मीना ने बयान देते हुए निवेदन किया है कि मैं एक लड़के लज्जाराम गुर्जर से प्यार करती थी जिसके साथ दिनांक 19.02.2019 को प्रातः लगभग 3.30 बजे घर से भागकर शादी कर ली थी। बाद में दिनांक 18.03.2019 को पुलिस ने भरतपुर में हमें पकड़ लिया एवं कैलादेवी थाने ले आये थे जहां से हमें श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, करौली के समक्ष पेश किया गया था। मैं अपने मां–बाप के पास वापिस ग्राम राजौर, तहसील करौली नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे अपने मां–बाप, घरवालों व समाज से जान का खतरा है। मैं लज्जाराम गुर्जर के साथ जाना चाहती हूं लेकिन उसका अभी मुझे पता नहीं है कि वह अभी कहां है। यदि अभी मुझे स्वतंत्र छोड़ा गया तो मेरे मां–बाप, परिवार वाले एवं समाज वाले मेरी हत्या अथवा मेरे साथ कोई अन्य वारदात/दुर्घटना कर सकते हैं। मुझे नारी निकेतन भरतपुर में मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं तथा मैं अभी वहीं रहना चाहती हूं। अभी और कहीं भी नहीं जाना चाहती हूं। अतः मुझे	

मेरी जान–माल की सुरक्षा को देखते हुए मुझे कम से कम 15 दिवस या एक महीना के लिए वापिस नारी निकेतन, भरतपुर भिजवा दिया जावे।

अतः रिंकी मीना की स्वेच्छा एवं उसकी सुरक्षा को देखते हुए रिंकी मीना को 20 दिवस (दिनांक 22.04.2019) के लिए वापिस नारी निकेतन, भरतपुर को भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक, करौली, सुश्री रिंकी मीणा पुत्री श्री रामकेश मीणा को नारी निकेतन भरतपुर में सुरक्षित पहुंचाने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें एवं नारी निकेतन की अवधि समाप्त होने पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, करौली को भिजवाई जावे।

02-04-2019

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर एवं. जिला मजिस्ट्रेट,
करौली